## आयोजकों का संक्षिप्त परिचय

**अखिल भारत सजीव खेती समाज**

ओएफएआई देश में जैविक खेती करने वाले किसानों का सबसे बड़ा संगठन है और इसके कई हजार सदस्य हैं। ओएफएआई जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनुसंधान, प्रकाशन, प्रशिक्षण और द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के साथ ही किसानों द्वारा किये गये कार्यों को भी प्रोत्साहित करता है। ओएफएआई के प्रयासों से ही पीजीएस आर्गेनिक काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जिससे किसानों द्वारा संचालित और किसानोन्मुखी संगठन द्वारा जैविक फसलों का प्रमाणीकरण किया जा सके। नवम्बर 2017 में नई दिल्ली में ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित करने के ओएफएआई के अनुरोध को आईएफओएएम ने स्वीकार कर लिया है। (www.ofai.org )

**नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च**

एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ ( मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत) ने 1967 में अपनी स्थापना के बाद से ही इंजीनियरिंग और टेक्नालॉजी शिक्षा के नये उभरते क्षेत्रों, जैसे–सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा तकनीक, उद्यमिता विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग–शिक्षण संस्थानों के मध्य संवाद व सहयोग और शैक्षिक प्रबन्धन, में प्रगति कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उत्तर–भारत क्षेत्र के लगभग 80 हजार युवक और युवतियां प्रतिवर्ष, इसके अंतर्गत आने वाले पॉलीटेक्नीकल संस्थानों से, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करते है। संस्थान ने टिकाऊ खेती सहित टिकाऊ ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के 6 सेमिनारों का आयोजन किया है। संस्थान जैविक खेती, जल व स्वच्छता और ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त तकनीक आदि विषयों पर प्रशिक्षण का भी आयोजन करता है। ;www.nitttrchd.ac.in

**राष्ट्रीय किसान स्वराज गठबन्धन**

गठबन्धन देश के 23 राज्यों में कार्यरत 450 से अधिक संगठनों का राष्ट्रव्यापी अनौपचारिक नेटवर्क है जो भोजन, किसान और स्वतंत्रता जैसे विभिन्न मुद्दों के प्रति कार्यरत है। इस नेटवर्क में किसान संगठन, उपभोक्ता ग्रुप, महिला संगठन, पर्यावरण संगठन, और ऐसे व्यक्ति व विशेशज्ञ शामिल हैं जो टिकाऊ खेती और किसान की आजीविका के प्रति सचेत और समर्पित हैं। ये इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खेती में काम आने वाले सभी उत्पादक संसाधन किसानों के नियंत्रण में रहने चाहियें जिससे देश के सभी नागरिकों के लिए समुचित, सुरक्षित और विविधतापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके। (www.kisanswaraj.in)

**खेती विरासत मिशन**

खेती विरासत मिशन सघन खेती के खतरों और किसान हितैशी व प्रकृति के अनुकूल कुदरती खेती की आवश्यकता को लेकर पंजाब में सफल जन आन्दोलन चला रहा है। मिशन के प्रयासों से किसानों, उपभोक्ताओं व कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही राज्य प्रशासन में टिकाऊ कृषि विकास को लेकर गम्भीर व प्रभावी चर्चा हो रही है। मिशन सेमीनारों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, ग्राम स्तरीय गोष्ठियों व चर्चाओं और स्कूलों में कार्यशालाओं के माध्यम से पंजाब के किसानों की क्षमताओं को बढ़ा रहा है और कई किसानों को कुदरती खेती अपनाने के लिए सहायता प्रदान की है। जैविक गृह वाटिका आन्दोलन के माध्यम से कई महिलाएं भी जैविक खेती आन्दोलन से जुड़ी हैं। वर्ष 2015 में खेती विरासत मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय, कृषि समृद्धि तथा कुदरती खेती के लिए चलाये जा रहे अपने अभियान की 10वीं जयंती मना रहा है। (www.khetivirasatmission.org)

## पंजीकरण एवं सहयोग

तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रति व्यक्ति व्यय लगभग 2500 रुपये होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्मेलन को आत्मनिर्भर व सफल बनाने के लिए उदारतापूर्वक सहयोग करें।

| श्रेणी | प्रति व्यक्ति सहयोग 25 जनवरी से पूर्व | प्रति व्यक्ति सहयोग 26 जन से 10 फरवरी |
|---|---|---|
| 1. पुरुष किसान : | 700–00 | 850–00 |
| 2. महिला किसान : | 350–00 | 450–00 |
| 3. जैविक किसानों के बच्चे :(15 वर्ष से कम आयु) | अपनी सद्इच्छा से सहयोग कर | |
| 4. छात्र एव शोध विद्यार्थी: | 700–00 | 850–00 |
| 5. अन्य भागीदार : | 1500–00 | 1700–00 |

**6. सम्मेलन स्थल पर पंजीकरण स्थानीय ( केवल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ) किसानों के लिए**

इस श्रेणी में प्रतिदिन अधिकतम 200 किसानों का पंजीकरण किया जायेगा। यह पंजीकरण 'पहले आओ और पहले पाओ' के आधार पर होगा। पंजीकरण शुल्क 200 रुपये प्रति किसान / प्रति दिन होगा, जिससे दोपहर के भोजन की प्रति पूर्ति हो सके और किसान उस दिन के कार्यक्रमों में भाग ले सके।

**आज ही करायें पंजीकरण**

सम्मेलन में केवल अग्रिम पंजीकरण करा कर ही भाग लिया जा सकता है। पंजीकरण की अंतिम तिथी 10 फरवरी 2015 तक है। पंजीकरण फार्म सम्मेलन कार्यालय और वेब साइट www.organicconvention.in पर उपलब्ध हैं। केवल आवश्यक शुल्क के साथ पूर्ण भरे हुए फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकरण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट / क्रास्ड चेक खेती विरासत मिशन ट्रस्ट के पक्ष में व चंडीगढ़ पर देय होना चाहिये। नाइटर के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिनिधि अपना पंजीकरण शुल्क निदेशक, नाइटर , चंडीगढ़ के पक्ष में भेज सकते हैं। पंजीकरण शुल्क में सम्मेलन के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही सम्मेलन अवधि में साधारण हॉस्टल / डॉरमेटरी आवास सुविधा व आर्गेनिक भोजन शामिल है।

## आवश्यक सूचनाएं

1. आवास सुविधा 27 फरवरी को दोपहर 7 बजे से 3 मार्च की सुबह 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। जो प्रतिभागी उक्त समय से पहले आना और / या बाद में रुकना चाहते हैं उन्हें अपनी व्यवस्था अलग से करनी होगी।
2. पंजीकरण 'पहले आओ और पहले पाओ' के आधार पर किया जायेगा। शुल्क सहित पंजीकरण फार्म भेजने का अर्थ पंजीकरण सुनिश्चित होना नहीं है। सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को 15 फरवरी 2015 से पूर्व पंजीकरण नम्बर सहित, पुष्टिकरण पत्र (RCL) भेज दिया जायेगा। इस पत्र में आवश्यक सूचनाएं भी होंगी जैसे– कैसे पहुंचें, साथ में क्या लायें और आपातकालीन फोन नम्बर आदि। जब आप आयें तो कृपया आरसीएल साथ लाना न भूलें। जिन्हें निर्धारित समय तक पंजीकरण फार्म और शुल्क भेजने के बाद भी 15 फरवरी 2015 तक आरसीएल नहीं मिला हो तो वे तत्काल सम्मेलन कार्यालय से सम्पर्क करें।
3. जो अपने अनुभव / प्रयोग आदि प्रस्तुत / प्रदर्शित करना चाहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं या स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जैव विविधता उत्सव में बीजों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रदर्शनी में अपनी कोई वस्तु प्रदर्शित करना चाहते हैं या भोजन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं वे कृपया पंजीकरण फार्म के साथ अलग से एक पन्ने पर पूरा विवरण लिख कर भेजें। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है जैसे अनुवादक की जरूरत है तो कृपया उसका स्पष्ट उल्लेख करें जिससे कार्य बेहतर तरीके से नियोजित किया जा सके।
4. जिन्हें सांझी डोरमेटरी के अलावा किसी अन्य आवासीय सुविधा की आवश्यकता है तो वे कृपया अलग से अपनी बुकिंग करा लें। इस प्रकार की स्वयं भुगतान के साथ–आवासीय सुविधा की जानकारी वेब साइट पर उपलब्ध होगी। परन्तु ऐसे प्रतिभागियों को पंजीकरण शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
5. पंजीकरण शुल्क सीधे बैंक खाते में जमा कराने की अनुमति नहीं है।
6. श्रेणी 6 को छोड़कर बाकी किसी का भी 'आन द स्पॉट' पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
7. जो व्यक्ति पंजीकरण शुल्क नहीं दे सकते वे कृपया ओएफएआई के गोवा स्थित कार्यालय से सीधे सम्पर्क करें। वहां सुपात्र और जरूरतमंद प्रतिभागियों की सहायता के लिए कुछ अल्प व्यवस्था की गई है।
8. प्रतिभागियों के देशभर से चंडीगढ़ आने के लिए रेलवे आरक्षण 24 दिसम्बर के आसपास प्रारम्भ हो जायेगा। किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए प्रतिभागियों को 'पंजीकरण पुष्टिकरण पत्र' की प्रतीक्षा किये बिना ही अपना रेल आरक्षण करा लेना चाहिये।

## टिकाऊ खेती और सुरक्षित भोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष को समर्पित

5th NATIONAL ORGANIC FARMING CONVENTION

*'कृषि विकास की मुख्यधारा हो जैविक कृषि'*

# 5वां राष्ट्रीय जैविक कृषि सम्मेलन

## 28 फरवरी से 2 मार्च 2015

**स्थान:**
नाइटर, सेक्टर 26, चंडीगढ़

**संयुक्त आयोजक:**
अखिल भारत सजीव खेती समाज
नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च
राष्ट्रीय किसान स्वराज गठबन्धन
खेती विरासत मिशन


**राष्ट्रीय जैविक कृषि सम्मेलन कार्यालय**
पहली मंजिल, मल्टीपरपज हॉल
नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च
सेक्टर 26, चंडीगढ़, 160019
फोन : 07087412288, 07087432288
ईमेल : organicconvention.2015@gmail.com
वेब साइट : www.organicconvention.in
**(कार्यालय समय** : सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक।)


## पृष्ठभूमि

भारत में प्राचीन काल से ही खेती की ऐसी परम्परा रही है जो विविधतापूर्ण होने के साथ ही कृषि रसायनों से मुक्त रही और इसकी बाहरी निवेश व संसाधनों पर निर्भरता बहुत ही कम थी। इसके साथ ही खेती व पशुपालन का चोली–दामन का साथ रहा है। भारत सरकार ने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत, 1960 के दशक में हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। और अब सरकारी रिपोर्टें व नीतिगत दस्तावेज 'तकनीकी असफलता' को रेखांकित करते हुए स्पषट रूप से सामाजिक–आर्थिक, पर्यावरणीय व स्वास्थ्य संकट की बातें कह रहे हैं। जमीन की बिगड़ती हुई दशा, मृदा–क्षरण / सतही व भूजल का संदूषण, ऊर्जा का अत्याधिक उपयोग, बढ़ती उत्पादन लागत, चारों तरफ फैलते विषैले पदार्थ, ज्यादा जोखिम, इस सबके कारण भूमिहीन होते किसान और उनमें बढ़ती हताशा व आत्महत्या करते किसान–यह है आज की भारतीय खेती की असलीयत।

पंजाब हरित क्रांति के केन्द्र में रहा है और आज यह प्रदेश इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि कृषि विकास योजनाओं को, खेती के दीर्घकालिक हितों से एकीकृत किये बिना, लागू किया जाता है तो उसके क्या–क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब यह एक स्थापित सत्य है कि कथित हरित क्रांति के कारण पंजाब के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है, भूजल स्तर गिरने के साथ ही संदूषित भी हो गया है, फसलों की विविधता समाप्त हो गई है और किसानों पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। पंजाब का पर्यावरणीय स्वास्थ्य इस समय संकट के चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे यहां के वे किसान असाध्य रोगों से पीड़ित हो गये हैं जिन्होंने देशवासियों का पेट भरने की खातिर अपने खेतों और पानी में कृषि रसायनों को अत्याधिक मात्रा में उढेल दिया। पड़ोसी राज्य हरियाणा के हालात भी इससे कुछ भिन्न नहीं है।

ओएफएआई के तीसरा द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रतिभागी

## समाधान है, जरूरत है इसे मुख्य धारा बनाने की

देशभर के कई समझदार किसानों और प्रकृति के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों ने खेती की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जो पर्यावरण की दृष्टि से दुरुस्त, आर्थिक दृष्टि से सक्षम और उन्नत है। खेती की इस पद्धति को देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बायोडायनमिक खेती, गौ–आधारित खेती, जीरो–बजट खेती, कुदरती खेती, टिकाऊ खेती, सजीव खेती, अमृत कृषि आदि नामों से जाना जाता है। कृषि की इन सभी पद्धतियों में मूल रूप से संश्लेशित कृषि रसायनों के प्रयोग को नकारा जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जमीन के स्वास्थ्य व कृषि विविधता का संवर्धन किया जाता है– स्वाभाविक रूप से ये सभी पद्धतियां प्राकृतिक उत्पादों के प्रयोग और उनके संरक्षण पर आधारित हैं।

सरकारी रिपोर्टों व नीतिगत दस्तावेजों में अब भारत में खेती के विविधीकरण की बातें दृढ़तापूर्वक की जाने लगी हैं जिससे कि खेती को टिकाऊ बनाया जा सके। कुदरती खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी कई परियोजनाएं चल रही हैं जिन्हें सरकार का समर्थन व सहयोग प्राप्त है और इनसे किसानों की आजीविका में बहुत सुधार हुआ है। कई राज्य सरकारें ऐसी नीतियां अपना रही हैं जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले। पूरी दुनिया में अब यह बात गम्भीरतापूर्वक महसूस की जाने लगी है कि गरीबी, भूख, कुपोषण, असुरक्षा, आजीविका, जलवायु परिर्वतन आदि समस्याओं के समाधान और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि–पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाना ही सर्वोत्तम उपाय है। यह रास्ता छोटी जोत वाले किसानों और महिला किसानों के लिए विशेष रूप से सहायक व लाभकारी है। आज जरूरत इस बात की है कि जैविक खेती की विभिन्न सफल गाथाओं से सबक लेकर अब कुदरती खेती परम्परा को मुख्यधारा बनाया जाये, जिससे भारतीय भोजन और कृषि परम्परा को टिकाऊ बनाया जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के 68वें सम्मेलन में वर्ष 2105 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्व के प्रति जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जा सके।

बीज संरक्षण पर गोश्ठी

## 5वां राष्ट्रीय जैविक कृषि सम्मेलन

जैविक कृषि सम्मेलन आर्गेनिक फॉर्मिंग एसोसियेशन ऑफ इंडिया (OFAI) द्वारा द्वि–वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है जो कि देश में जैविक खेती के आन्दोलन में अद्वितीय और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। प्रत्येक सम्मेलन में देशभर से हजारों किसानों, कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों ने भाग लिया और आपस में विचार विमर्श व अपने–अपने अनुभवों को साझा कर टिकाऊ खेती और सुरक्षित भोजन की अपनी सामूहिक मुहिम को सुदृढ़ किया।

चंडीगढ़–हरित क्रांति के क्षेत्र में पहल करने वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के कारण– ओएफएआई द्वारा आयेजित किये जाने वाले 5वें राष्ट्रीय जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन स्थल बनी। ओएफएआई इस सम्मेलन का आयोजन नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च (NITTTR), खेती विरासत मिशन (KVM) और एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर(ASHA) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और संगठनों के साथ मिल कर कर रहा है।

यह सम्मेलन वैज्ञानिकों व तकनीकी विशेषज्ञों, किसानों के अनुभवों, कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, सरकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, विपणन विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं के मध्य एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा। आशा है कि सम्मेलन जैविक किसानों को तकनीकी और विपणन सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही जैविक खेती आंदोलन के विस्तार को नई दिशा देगा। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र के किसान और उपभोक्ता, दोनों ही, इस सम्मेलन के माध्यम से जैविक भोजन और खेती को आगे बढ़ाने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनायेंगे।

## सम्मेलन के उद्देश्य

चंडीगढ़ सम्मेलन से उम्मीद है कि यह वैज्ञानिक संवाद और जैविक खेती पद्धति को सुदृढ़ करने के साथ ही जैविक भोजन के प्रति उपभोक्ताओं में भी मजबूत आधार तैयार करेगा। इस सम्मेलन के विशिश्ट उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

- खेती के समक्ष विद्यमान संकटों जैसे– कृषि आर्थिकी, टिकाऊ पर्यावरण और भोजन सुरक्षा आदि के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करना।
- जैविक कृषकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जैविक उत्पादों की बिक्री हेतु एक मंच उपलब्ध कराना।
- सुरक्षित, विविधतापूर्ण और पोषक भोजन, प्रकृति–संस्कृति–कृषि के बीच अविच्छिन सम्बन्ध, कृषिकर्म की गरिमा को पुनः प्रतिश्ठित करने के साथ ही जलवायु परिर्वतन के संकट के शमन/अनुकूलन जैसे मुद्दों का समाधान करना।
- जैविक कृषकों, जैविक आन्दोलनों व कार्यकर्ताओं, नीति निर्धारकों, सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उपभोक्ताओं और मीडिया आदि के मध्य सक्रिय सम्पर्क स्थापित करना और इनके आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाना।
- विभिन्न पक्षों के आपसी सहयोग से देश में टिकाऊ खेती का प्रारूप बनाना।

### सम्मेलन के संरक्षक

**डा. गुरदयाल सिंह,** भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित
**पद्म भूषण डा. इन्द्रजीत कौर,** पिंगलवाड़ा अमृतसर
**डा. महावीर प्रसाद पूनिया,** निर्देशक, नाइटर, चण्डीगढ़

### सम्मेलन आयोजन समिति

**डा. जसमेर सिंह सैनी,** अध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग, नाइटर
**डा. उपेन्द्र नाथ राय,** आचार्य, ग्रामीण विकास विभाग, नाइटर
**कपिल शाह,** सचिव, अखिल भारत सजीव खेती समाज
**कविता कुरूगंटी,** संयोजक, राष्ट्रीय किसान स्वराज गठबंधन
**उमेन्द्र दत्त,** कार्यकारी निदेशक, खेती विरासत मिशन

## सम्मेलन में विचार–विमर्श के कुछ बिन्दु

समन्वित खेती, गृह वाटिका, जैविक खेती की दिशा में बढ़ना, जैविक खेती और छोटे किसान, जैविक खेती के लिए कृषि उपकरण।

- पशुपालन और देसी नस्लों को प्रोत्साहन।
- महिला किसान, आदिवासी क्षेत्रों में खेती और पर्वतीय खेती।
- खेत की मिट्टी की सेहत सुधारना, खाद व कीटनाशक आदि जैविक निवेश और पोषक तत्व प्रबन्धन।
- जल और सिंचाई प्रबन्धन।
- बीज विविधता, फसल नियोजन और फसल–विशेष के लिए समग्र शस्य कार्य विवरण।
- पौध संरक्षण व शस्य क्रियाएं।
- कृषि रसायनों का प्रयोग और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए खतरे।
- पराजीनी फसलें और उनके दुष्प्रभाव।
- पारिस्थितिकी और आर्थिक संकट तथा देश के विभिन्न भागों में किसानों की आत्म हत्या के मामले।
- जैविक खेती सम्बन्धी नीतियां और कार्यक्रम तथा बीज व मूल्यों आदि सम्बन्धी नीतियों और कानूनों की समीक्षा।
- जलवायु परिर्वतन और जैविक खेती।
- खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण और विपणन।
- खाद्य सुरक्षा नियम।

## सम्मेलन के विशिष्ट पहलू

**किसान से किसान का संवाद**– जानकारी के आदान–प्रदान व किसानों की एक जुटता के लिए समूह चर्चा, कार्यशाला, खेत प्रदर्शन, तकनीकी प्रदर्शनी आदि विभिन्न कार्यक्रम इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण अंग हैं।

**प्रदर्शनियां**– जैविक खेती के अग्रणी किसान और ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसियेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा चंडीगढ़ के पास एक विशेष कृषि प्रदर्शनी प्लॉट तैयार किया गया है। कई अन्य किसान और वैज्ञानिक भी प्रदशर्नियों के माध्यम से जैविक खेती के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों, उपलब्धियों को दर्शायेंगे व किसानों से अपने अनुभव साझा करेंगे।

**वैज्ञानिक सम्मेलन**– 'इंडियन सोसायटी फॉर एग्रो–इकोलॉजी' (ISAE) द्वारा सेन्टर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद के सहयोग से आयेजित की जाने वाली वैज्ञानिक गोष्ठी इस सम्मेलन का अभिन्न अंग है। इस गोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा टिकाऊ खेती से सम्बन्धित शोध पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

**जैव विविधता उत्सव**– जैविक खेती की सफलता जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा पर निर्भर है। देशभर के कई किसान और संगठन, जो जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं वे, सम्मेलन में भारत की समृद्ध फसल विविधता को प्रदर्शित करेंगे।

**नवीन प्रयोगों का प्रदर्शन** : जैविक खेती के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों व उद्यमियों द्वारा जैविक कृषि पद्धतियों, जैविक खाद व कीटनाशक आदि कृषि निवेशों व कृषि उपकरणों आदि को प्रदर्शित किया जायेगा।

**किसान हाट**– ट्राई सिटी के निवासियों के लिए किसान हाट एक आकर्षण का केन्द्र होगी जहां वे किसानों से सीधे जैविक उत्पाद खरीद सकेंगे। इससे इस क्षेत्र के जैविक उत्पादकों के साथ ही देशभर के जैविक किसानों के लिए विपणन के नये अवसरों की राह खुलेगी।

**जैविक आहार उत्सव**–चंडीगढ़ और उसके आस–पास के निवासी सम्मेलन के दौरान ज़हर मुक्त, प्राकृतिक जैविक भोजन का आनन्द ले सकेंगे, इसके माध्यम से वे देश की स्वास्थ्यपूर्ण भोजन परम्परा से जुड़ सकेंगे।

**शहरी उद्यान कार्यशाला**: जैविक खेती के सिद्धांतों के आधार पर किचन गार्डन विकसित करने की दृष्टि से आम नागरिकों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म शो**–सम्मेलन की प्रत्येक संध्या को अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिनके माध्यम से जैविक किसान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक गीतों, नृत्यों व नाटकों का आनन्द ले सकेंगे।

**नीतिगत विषयों पर चर्चा** : सम्मेलन में तकनीकी विषयों पर चर्चा के दौरान बीज, प्रमाणीकरण, विपणन, जैविक खेती सम्बन्धी नीतियों, जैव विविधता के संवर्धन और संरक्षण आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी।

**प्रकाशन** : जैविक खेती से सम्बन्धित पुस्तकें, प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी, सीडी और डीवीडी आदि प्रदर्शित की जायेंगी और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।